स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित

फोटो

एमटीएनएल

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली

(भारत सरकार का उद्यम)

वीसीसी सार्वजनिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) के लिए आवेदन पत्र

1- आवेदक का नाम, जिनके नाम पर ----------------------------------
वीसीसी पीसीओ चाहिए

2- पिता/पति/पत्नी का नाम(व्यक्तियों के मामले में).....................................

3- टेलीफोन लगाए जाने का पता
....

4- आवेदक के घर का पता..

5- आवेदक का स्थायी पता...

6- टेलीफोन लगने के पते के समीप का कोई टेलीफोन नं0(यदि है तो)---------------

ई मेल नं0------------------------------

7- क्या उसी परिसर में आवेदक के नाम पर कोई अन्य पीसीओ काम कर रहा है यदि हां, तो टेलीफोन नं0 बताएं।

....

8- क्या किसी अन्य परिसर में आवेदक के नाम से कोई पीसीओ कार्य

कर रहा है यदि हां, तो कृपया टेलीफोन नं0, टेलेक्स/फैक्स नं0 बताएं।

9- आवेदक का प्रकार : व्यक्तिगत, कंपनी, अन्य(निर्दिष्ट करें)

10- पीसीओ का प्रस्तावित समय : कार्य दिवस-------------से-----------तक

: अवकाश के दिन----------से---------तक

11- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि म0टे0नि0लि0 के वर्तमान व समय-समय पर यथा संशोधित नियम एवं विनियम/अनुदेश/निबंधन एवं शर्ते मुझे/हमें

स्वीकार हैं। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि म0टे0नि0लि0 के साथ कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वह विवाद म0टे0नि0लि0 द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थों की मध्यस्थता को सौंपा जाएगा। मेरे/हमारे द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित वचनबंध संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

संलग्न: 1- पहचान का प्रमाण।

2- पता(जहां कनेक्शन लगना है) का प्रमाण।

3- वचन बंध

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

आवेदन पत्र दिनांक------------------- को प्राप्त किया। पंजीकरण सं0---------------------- दिनांक--------------------

अधोहस्ताक्षरी ने मूल प्रतिलिपि से दस्तावेजों को सत्यापित किया एवं सही पाया।

हस्ताक्षर-------------------------

नाम-----------------------------

स्टाफ सं0------------------------

पदनाम---------------------------

त्वरित उपभोक्ता सेवा केंद्र-------------

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय : महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जीवन भारती भवन, टावर-1, 12वीं मंजिल, 124 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001.

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली

(भारत सरकार का उद्यम)

वीसीसी पीसीओ धारकों द्वारा दिया जाने वाला वचन बंध

(सादे कागज पर दिया जाए)

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री----------------------------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री---------------------निवासी------------------- --एतद्वारा निम्नलिखित कथन व घोषणा करता हूं/करती हूं :-

क-मैं भारतीय नागरिक हूं तथा मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।

ख- वह स्थान जहां सार्वजनिक टेलीफोन लगना है :-

I- जनता की सहज पहुंच में है।

II मेरे अधिकार में हैं/मुझे ---------------------(प्राधिकरण का नाम) द्वारा आबंटित है।

ग- मेरे मकान मालिक को संस्थापन पते पर वीसीसी पीसीओ लगने पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि यदि भविष्य में मेरा मकान मालिक वीसीसी पीसीओ पर आपत्ति करता है तो मैं एतद्वारा म0टे0नि0लि0, दिल्ली को मुझे कोई नोटिस दिए बिना मेरी वीसीसी पीसीओ लाइन काटने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

साथ ही यदि मेरे और मकान मालिक तथा /अथवा पट्टादाता के बीच कोई विवाद होता है तो मैं म0टे0नि0लि0, दिल्ली पर आने वाली किसी भी देयता की क्षतिपूर्ति करुंगा/करुंगी।

घ- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि वीसीसी पीसीओ के लिए मेरे द्वारा दिये गये सभी दस्तावेज सत्य एवं वास्तविक हैं फिर भी यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज भविष्य में झूठा तथा/अथवा नकली पाया जाता है तो उस स्थिति में म0टे0नि0लि0 को मुझे बिना कोई नोटिस दिए मेरा वीसीसी पीसीओ काटने का अधिकार होगा तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि उससे होने वाले परिणाम और नुकसान का उत्तरदायित्व मेरा होगा।

ड. मुझे इस बात की भी जानकारी है कि यदि मद सं0 1(क) से 1(ग) तक दी गई कोई जानकारी झूठी या गलत अथवा गोलमोल पायी जाती है तो म0टे0नि0लि0 मेरा वीसीसी पीसीओ नहीं लगाएगा। साथ ही यदि ऊपर मद (1) में वर्णित किसी भी शर्त का कभी भी उल्लंघन होता है तो म0टे0नि0लि0 को मेरे सार्वजनिक दूरभाष को किसी भी समय मुझे बिना कोई नोटिस दिए काटने का अधिकार होगा।

च. वीसीसी पीसीओ धारक को उसके प्रयोग की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से दर्शाना होगा तथा वीसीसी कार्ड नम्बर को गुप्त रखने की सावधानी बरतना सुनिश्चित करना होगा।

छ. पीसीओ धारक यह सुनिश्चित करेंगे कि हैंडसेट रिसीवर प्रयोग न होने की स्थिति में सदैव हुक पर रखा हो।

ज. म0टे0नि0लि0 के आई एन स्विच पर दर्ज हुआं वीसीसी पीसीओ पर राजस्व भाग/वीसीसी का प्रयोग अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। केवल विशेष मामलों में म0टे0नि0लि0 के विवेकाधिकार पर 200 रु0 का कार्यवाही (प्रोसेसिंग) शुल्क लेकर विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाया जा सकता है।

2-म0टे0नि0लि0 द्वारा वीसीसी पीसीओ के संस्थापन के पश्चात, मैं निम्नलिखित वचन बंध देता हूं/देती हूं;-

क-मैं म0टे0नि0लि0 द्वारा प्रदत्त सामान्य ईपीबीटी यंत्र को किसी क्लिप यंत्र से नहीं बदलूंगा/बदलूंगी।

ख- मैं वीसीसी आधारित पीसीओ पर की गई स्थानीय/एसटीडी/आईएसडी कॉलों के लिए जनता से कोई भी सेवा प्रभार अथवा अन्य कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लूंगा/लूंगी।

ग-मैं सभी को वीसीसी पीसीओ का प्रयोग करने दूंगा/दूंगी तथा वीसीसी पीसीओ प्रतिदिन खुला रहेगा।

घ-मैं उपभोक्ताओं को बिना कोई प्रभार लिए वीसीसी कार्ड का प्रयोग करने दूंगा/दूंगी।

ड. मैं सरकार/न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा लागू किए गए विधि/उपविधि, नियमों, विनियमों, आदेशों निदेशों, अधिसूचना इत्यादि तथा म0टे0नि0लि0 द्वारा जारी सभी निर्देशों का भी पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह भी समझता/समझती हूं कि प्रशुल्कों में परिवर्तन होता रहता है तथा म0टे0नि0लि0 को किसी भी समय प्रशुल्क /व्यावसायिक शर्ते बदलने का एकमात्र विवेकाधिकार है।

च-मैं निरीक्षण/सत्यापन के लिए आने वाले म0टे0नि0लि0 के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ हमेशा सहयोग करूंगा/करूंगी।

छ. मैं इस सेवा का उपयोग किसी अवैधानिक, अनैतिक, अनुचित, दुरुपयोग हेतु तथा अभद्र, अशोभनीय, धमकी भरे, उत्पीड़ित करने वाले, अयाचित, राष्ट्रीय हित का उल्लंघन करने वाले अथवा प्रभावित करने वाले संदेश/संदेशों को भेजने के लिए तथा म0टे0नि0लि0 अथवा इसके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने अथवा खतरा उत्पन्न करने के लिए नहीं करूंगा/करूंगी।

ज.मैं जनता की किसी शिकायत की जांच में म0टे0नि0लि0 को पूरा सहयोग दूंगा/दूंगी । मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यदि उपर्युक्त 2(क) से (झ) तक की मदों में दिए गए विवरण में से किसी का मेरे द्वारा उल्लंघन होता है तो बिना किसी सूचना के म0टे0नि0लि0 को वीसीसी पीसीओ को काटने का अधिकार होगा।

झ निरीक्षण/शिकायत के दौरान यदि कोई सीएलआई डिस्प्ले/स्टोरेज फीचर/सुविधा उपकरण पाया जाता है / उनका उपयाग किया गया है ऐसा ऐसा सिद्ध हो जाता है तो धारकों के पीसीओ काटे जा सकते हैं तथा कमीशन जब्त किया जा सकता है।

3 वीसीसी पीसीओ धारकों को जारी किए गए साधारण इलै0पुशबटन टेलीफोन सेट(ईपीबीटी सेट) उनके पास म0टे0नि0लि0 की सृजनात्मक सम्पत्ति के रुप में रहेंगे । सामान्य ईपीबीटी सेट उनके किसी भी कारण से कनेक्शन वापस करने/कटने की स्थिति में धारक को नियम एवं शर्तो के अनुसार उसे म0टे0नि0लि0 को वापिस करना होगा।

4 ईपीबीटी सेट का एकमात्र मटेनिलि, नेटवर्क जिसके लिए यह दिया गया है, के अतिरिक्त किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

5 वीसीसी पीसीओ धारक ईपीबीटी सेट के उपयुक्त प्रयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। क्षतिग्रस्त हुए ईपीबीटी सेट को बदलने के

लिए म0टे0नि0लि0 वास्तविक आधार पर क्षति शुल्क वसूल करेगा।

6 वीसीसी पीसीओ धारकों द्वारा ईपीबीटी सेट को खो देने/चोरी होने की स्थिति में वीसीसी पीसीओ धारकों को खोये हुए सेट का पूरा मूल्यहासित मूल्य चुकाना होगा। भुगतान किए जाने पर म0टे0नि0लि0 दूसरा ईपीबीटी सेट जारी कर देगा।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

दिनांक:-

स्थान :-

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली
वीसीसी पीसीओ के आवेदकों के लिए अनुदेश

1- **वीसीसी पीसीओ का आवेदन प्रपत्र नःशुल्क है।**

2- वह परिसर जहां वीसीसी पीसीओ लगाया जाना है, जनता की सहज पहुंच के अंतर्गत होना चाहिए।

3- आवेदन पत्र को पीसीओ पंजीकरण काउंटर पर जमा करने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी कॉलम ठीक प्रकार से भरे गए हैं तथा दर्शाए गए सभी संबंधित दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।

4- वीसीसी पीसीओ बिना आवक सुविधा वाला एक लैंड लाइन पीसीओ हैं परन्तु जावक सुविधा केवल वीसीसी कार्ड द्वारा है। हैंडसेट उठाते ही उपभोक्ता को वीसीसी कार्ड नं0 डायल करने के लिए कहा जाएगा। (नीचे दिए गए प्रयोक्ता अनुदेशों का पालन करें)

5- **वीसीसी पीसीओ का प्रयोग कैसे करें और क्या सावधानी बरतें।**

1-कॉल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टेलीफोन में सीएलआई डिस्पले/स्टोरेज सुविधा/विशेषता नहीं हैं।

2-रिसीवर उठाएं तथा "कृपया अपना कार्ड नं0 डॉयल करें" की उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

3-उद्घोषणा सुनने के बाद 10 अंकों की अपनी गुप्त कार्ड सं0 डायल करें।

4-इसके बाद कॉल करने के लिए अगली उद्घोषणाओं का पालन करें।

5-कॉल समाप्त होने पर रिसीवर वापिस रख दें

- वीसीसी पीसीओ धारक यह सुनिश्चित करेंगें कि इस्तेमाल न होने की स्थिति में हैंडसेट रिसीवर सदैव हुक पर रखा हो।

6-आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज

(क) पते के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज: निम्न में से किसी एक की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि-पासपोर्ट भुगतान किया किए गए अंतिम टेलीफोन/गैस/पानी/बिजली/क्रेडिट कार्ड/हाउस टैक्स बिलों की रसीद, किसी सरकारी निकाय के संपदा कार्यालय द्वारा जारी किया गया आवास आबंटन पत्र, आयकर रिटर्न, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किराए की रसीद/किराया पट्टा अनुबंध।

(ख)पहचान के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज; निम्न में से किसी एक की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड ,फोटो लगा कोई भी सरकारी दस्तावेज,

सरकारी/अर्धसरकारी/सा0 क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।

(ग) कृपया बुकिंग काउंटर पर म0टे0नि0लि0 अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए उपरोक्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(घ) निर्धारित प्रोफार्मा में सादे कागज पर वचनबंध (अंडर टेकिंग)संलग्न है।

(ड.) आवेदक स्वयं द्वारा सत्यापित एक फोटो चिपकाएं।

(च) पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक द्वारा विधिवत् सत्यापित निगमीकरण(इनकारपोरेशन) का प्रमाण पत्र, अंतर्नियमों का ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स), कंपनी के उपर्युक्त प्राधिकृत अधिकारी की पहचान का कोई प्रमाण संलग्न करें। आवेदन पत्र प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने की स्थिति में पावर ऑफ अटारनी की सत्यापित प्रति अवश्य संलग्न करें।

7-**आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से हस्ताक्षरित होना चाहिए।**

व्यक्तिगत को छोड़कर अन्य सभी मामलों में कार्यालय की मोहर अवश्य लगी हो।

(क) व्यक्तिगत आवेदक द्वारा

(ख) यदि कंपनी के लिए है तो निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा

(ग) यदि सोसायटी है तो सचिव द्वारा

(घ) यदि ट्रस्ट है तो ट्रस्टी द्वारा

(ड.) यदि यह महाविद्यालय/विद्यालय है तो प्राचार्य द्वारा

8-आवेदक को सूचित किया जाता है कि संस्थापन के पते पर वर्तमान में अथवा पहले कार्य कर रहे किसी अन्य टेलीफोन की कोई देय राशि बकाया है तो म0टे0नि0लि0 को उस पते पर वीसीसी पीसीओ लगाने से मना करने का पूरा अधिकार है।

9-वीसीसी पीसीओ के लिए पंजीकरण केवल तभी किया जाएगा जब आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त शर्ते एवं अपेक्षित वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए यह आवेदक का उत्तरदायित्व है कि वह म0टे0नि0लि0 प्राधिकारियों को सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

10- उपर्युक्त के अतिरिक्त जब भी आवश्यकता हो और म0टे0नि0लि0 जैसा ठीक समझे, आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है तथा आवेदक को उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

अपेक्षित दस्तावेज:-

(क) पते का प्रमाण : निम्न में से किसी एक की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि-पासपोर्ट, भुगतान किया किए गए नवीनतम टेलीफोन/गैस/पानी/बिजली/क्रेडिट कार्ड/हाउस टैक्स बिलों की रसीद, किसी सरकारी निकाय के संपदा कार्यालय द्वारा जारी किया गया आवास आबंटन पत्र, आयकर रिटर्न, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किराए की रसीद/किराया पट्‌टा अनुबंध/नोटरी

द्वारा 10/-रु0 के न्यायिकेतर स्टॉम्प पेपर पर व्यक्तिगत शपथ पत्र, जिसमें आवेदक के पते, व्यवसाय की घोषणा की गई हो।

(ख)पहचान के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज; निम्न में से किसी एक की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड ,फोटो लगा कोई भी सरकारी दस्तावेज, सरकारी/अर्धसरकारी/सा0 क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र **अथवा**

उपर्युक्त दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि तथा उक्त दस्तावेजों का एमटीएनएल कर्मचारी द्वारा सत्यापन किए जाने के लिए बुकिंग काउंटर पर उनका मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें।